

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

खण्डपीठ रीवा (म०प्र०)

श्री राजेन्द्र शर्मा एडवोकेट  
पेशा 29-9-14



वसुधैव कुटुम्बकम्  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

R-3764-III/14

685  
29-9-14

- 1- श्रीमती सुन्दरी देवी पत्नी स्व० भगवानदास ताम्रकार,
  - 2- प्रहलाद ताम्रकार तनय स्व० भगवानदास ताम्रकार
- दोनो निवासी जानकी पार्क लोहिया मार्ग, तहसील हुजूर, जिला रीवा  
(म०प्र०) —————निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1- अशोक कुमार तनय संत कुमार दुबे, निवासी ग्राम कोष्टा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म०प्र०)
- 2- शीला पुत्री संत कुमार दुबे, निवासी ग्राम कोष्टा, तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा (म०प्र०)

दिनांक 34/12

आज 29/10/14 को प्राप्त

राजस्व मण्डल ग्वालियर

—————गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा (म०प्र०) के प्रकरण क्र०-1381/अपील/2012-13 सुन्दरी देवी बनाम अशोक कुमार में पारित आदेश दिनांक 05/07/14

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम कोष्टा की आ०नं०-1142/2 रकवा 0.227 हे० जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख गैरनिगरानीकार अशोक कुमार दुबे तनय संत कुमार दुबे, निवासी ग्राम

R- 3764-III/14 सीवा

27.10.16

- 1- आवेदक अधिमासक ग्री राजेश शर्मा एड. अप.।
2. आवेदक अधिमासक द्वारा बताया गया कि इस प्रकाश के बारे में नहीं चलाना चाहते हैं, अतः इसी वृत्त पर समाप्त किया गया।
3. प्रार्थक आवेदक प्रकाश नहीं चलाना चाहते हैं, अतः प्रकाश इसी वृत्त पर समाप्त किया जाता है।
4. प्रकाश पेजी से समाप्त होकर दृ. दृ. है।

सिद्धा

सिद्धा